



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
मिनिरल कम्पनी
फैक्स -01509 -223877
Website:
www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084,

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 223874, 221420, 223876
e-mail – CSFSURATGARH @redifmail.com

NSC/CSF/SOG/Mech/3/outsource/2023-24

DATE: 01.08.2024

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ में वर्ष 2024-25 में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार एकड़/घंटे के आधार चालक/ मानव शक्ति उपलब्ध करवाने हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्म/एजेंसी/संस्था से दो बिड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय) के आधार पर ई-निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। निविदा में आवेदन कि अंतिम तिथि दिनांक 26.08.2024 अपराह्न 12:30 तक है विस्तृत विवरण हमारी www.indiaseeds.com से भी देखी जा सकती है। निविदा हमारी वेबसाइट <https://indiaseeds.enivida.com> पर केवल ऑनलाइन प्रेषित करें। इस सम्बन्ध में यदि कोई भूल सुधार ज्ञापन होगा तो केवल वेबसाइट पर ही डाला जायेगा। निविदा सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी कार्य दिवस में केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ से या मो0 न0 8290781111 पर भी प्राप्त की जा सकती है।

1	कार्य का विवरण	वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभिन्न कृषि कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार एकड़/घंटे आधार पर चालक/ मानव शक्ति उपलब्ध करवाने हेतु निविदा
2	स्थान	केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
3	अनुमानित लागत (रूपये मे)	रूपये 50,00,000/-
4	EMD राशि (रूपये मे)	1,20,000/-
5	निविदा प्रपत्र की कीमत (रूपये मे)	2360/- (2000/- + 18% GST)
6	EMD व निविदा प्रपत्र की कीमत (Non refundable) जमा करने के लिए बैंक विवरण	EMD will be accepted through online mode or through online portal National Seeds Corporation Limited, Suratgarh Account No. 34056542572 IFSC Code SBIN0007774
7	अनुबंध की अवधि	दो वर्ष
8	निविदा प्रारंभ होने की तारीख व समय	05.08.2024 Time 05:00 PM
9	निविदा जमा करने का अंतिम दिन व समय	26.08.2024 Time 12:30 PM
10	निविदा खोलने का दिन व समय	Technical bid: - 26.08.2024 15:00 hrs Financial bid: - 27.08.2024 15:00 hrs
11	पत्राचार का पता	निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ 335804 (Raj.) E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com Mob. No.6263186016

केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
विभिन्न कृषि कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर चालक/ मानव
शक्ति उपलब्ध करवाने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता के पास अपनी फर्म का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड होना अनिवार्य है। निविदादाता के पास गत तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष का केन्द्रीय अथवा राजकीय सरकारी कार्यालय/ केन्द्रीय या राज्य स्वायत्तशासी संस्था में निविदा से सम्बंधित कार्य किये जाने बाबत अनुभव होना अनिवार्य है। जिसके लिए निविदादाता को अनुभव प्रमाणपत्र/ कार्यादेश की प्रति तकनीकी निविदा में अपलोड करनी होगी। अनुभव प्रमाण पत्र जिस संस्था में कार्य किया गया हो उसी संस्था द्वारा जारी किया होना चाहिए।
2. निविदादाता के पास विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर न्यूनतम 50 लाख प्रति वर्ष होना आवश्यक है।
3. निविदादाता को ई-निविदा में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड खाते में सूरतगढ़ EMD राशि जमा करनी होगी। धरोहर राशि और निविदा शुल्क के बिना, निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता किसी भी संस्था/ सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इसके किये निविदादाता को गैर काली सूचीबद्ध का शपथ पत्र (Annexure-C पर दिए अनुसार) तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
5. EMD राशी व निविदा शुल्क RTGS/NEFT मोड या ऑनलाइन (Net Banking) या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से केवल निविदादाता के खाते से ही जमा करनी होगी। ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व डिमांड ड्राफ्ट भौतिक रूप से जमा करवाना होगा। जमा की गयी EMD राशि व निविदा फॉर्म शुल्क (गैर वापसीयोग्य) का विवरण Annexure-B पर दिए गये प्रारूप में भरकर अपलोड करने होंगे, यदि RTGS/NEFT या ऑनलाइन (Net Banking) मोड से जमा करवाया गया है National seeds Corporation Limited, Suratgarh Account No,34056542572 IFSC Code SBIN0007774 (EMD details and tender fee as per C-I India) यदि EMD राशी व निविदा फॉर्म शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाया गया है तो उस डिमांड ड्राफ्ट की छाया प्रति तकनीकी निविदा में अपलोड करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट **NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, SURATGARH (राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़)** के नाम पर तैयार किया होना चाहिए जो की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक सूरतगढ़ में देय हो।
6. निविदादाता को निविदा के नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा की प्रत्येक नियम व शर्तों की स्वीकृति क रूप में अपने हस्ताक्षर कर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। **अहस्ताक्षरित निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।** सक्षम आधिकारी की अनुमति के उपरांत तकनीकी निविदा में योग्य पाई गयी निविदाओं की वित्तीय निविदा निर्धारित समय पर खोली

जाएगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी | निविदादाता की शर्त पर निविदा स्वीकार्य नहीं होगी |

7. प्राप्त सभी निविदाओं या उनमें से किसी एक निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा |
8. निविदादाता के पास 20 श्रमिक आपूर्ति का लेबर लाइसेंस होना आवश्यक है जिसकी प्रति तकनीकी निविदा में अपलोड करनी आवश्यक है | बिना लाइसेंस के निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी |
9. The work shall be awarded to L-1 bidder for the maximum work for which L-1 bidder has offered the rates. For the remaining work the price quoted by L-1 bidder will be offered to L-2 bidder provided they are willing to complete the remaining work at L-1 rate, if L-2 bidder is not willing to work at the L-1 rate, offer will be given to L-3, L-4 bidder and so on for the remaining work at the L-1 rates.
10. सफल निविदादाता की धरोहर राशी प्रतिभितु (Security Deposit) / अमानत राशी के तौर पर समायोजित की जा सकेगी | सफल निविदादाता को कार्य आदेश जारी होने के उपरांत असफल निविदादाताओं की धरोहर राशी को सम्बंधित निविदादाता के बैंक खातों में 30 कार्य दिवसों के अन्दर वापस किया जायेगा | जिसके लिए सभी निविदादाताओं को अपने बैंक खाते का विवरण **Annexure-A** में दिए फॉर्मेट में भर कर स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी | सफल निविदादाता को दी गयी दरों पर दर Negotiation के लिए CVC के दिशानिर्देशों के तहत बुलाया जा सकता है |
11. निविदादाता यदि सफल निविदादाता बनता है तो उसे प्रतिभितु (Security Deposit)/ अमानत राशि के रूप में कार्य की अनुमानित राशि का 5 % तुरंत जमा करवाने होंगे जिसमें उसकी पूर्व में जमा धरोहर राशि को समायोजित किया जा सकेगा | प्रतिभितु (Security Deposit)/ अमानत राशि को कार्य सन्तोषजनक होने पर अनुबंध समाप्ति के एक माह पश्चात बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जायेगा |
12. सफल निविदादाता वांछित चालक/ मानवशक्ति प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ एक वर्षीय अनुबंध, 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प **Aannexure-A** पर दिए अनुसार हस्ताक्षरित करेगा | स्टाम्प की राशि सफल निविदादाता को वहन करनी होगी | संतोषपूर्ण सेवाओं के आधार पर उक्त अनुबंध की समीक्षा उपरांत अगले एक वर्ष तक दोनों पक्षों की सहमती पर 6-6 महीने के अन्तराल तक अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है |
13. निविदा खोलने की दिनांक से 60 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य वचनबद्ध रहेगी | यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी |

14. यदि निविदाकर्ता अपनी निविदा की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी संबंध में निविदा वापस लेता है या निविदा से हटाता है या निविदा में संशोधन करता है, या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी तरीके से अनुबंध की किसी भी शर्त को भंग करता है या चालक/ श्रमिक उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहता है या कार्मिक प्रदान करने वाली संस्था (अनुबंधित निविदादाता) द्वारा उपलब्ध करवाई गयी मानव शक्ति के लगातार अनुपस्थित होने पर या कदाचार करने की स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि को जब्त करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा ।
15. सभी दर राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के समरूप होने चाहिए ।
अव्यावहारिक (Impractical) दरें स्वीकार्य नहीं होगी ।
16. चालक/ श्रमिक उपलब्ध करवाने वाली संस्था की सेवाएं असंतोषजनक रहने या अन्य किसी विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ का सक्षम अधिकारी अपने विवेक से 7 दिनों के अग्रिम नोटिस पर अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य निविदाओं में से क्रमानुसार जिसकी दर न्यूनतम होगी उसे सहमती से ठेका देने का अधिकार राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के सक्षम अधिकारी के पास होगा ।
17. अनुबंध के दौरान यदि राज्य सरकार द्वारा मजदूरी दरें बढ़ाई/ घटाई (परिवर्तित) की जाती है तो इस स्थिति में अंतर राशि का भुगतान करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की होगी । इस प्रकार की अतिरिक्त राशि के भुगतान लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
18. सुरक्षा, जोखिम, अक्षमता, वैचारिक मतभेद और गोपनीयता भंग करने या अनुचित आचरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ द्वारा अस्वीकार्य कर्मों का कार्यालय से लिखित नोटिस प्राप्त होते ही तुरंत संस्था/ ठेकेदार को उक्त कर्मों को अविलम्ब कार्य से हटाकर तुरंत नया कर्मों उपलब्ध करवाना होगा ।
19. चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण व वाहन की चोरी या क्षति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
20. संस्था/ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए फार्म मशीनरी चालक/ श्रमिक की लापरवाही से यदि किसी फार्म मशीनरी/ फार्म का कोई नुकसान (टूट-फूट या किसी भी प्रकार की चोरी) होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिलों से की जाएगी, नुकसान का आंकलन फार्म के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति से करवाया जायेगा और इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
21. चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की अनुसाशनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए संस्था खुद जिम्मेदार होगी । ठेकेदार के कर्मों कार्यालय के विवरण प्रक्रिया, तकनीकी खुलासे, सुरक्षा व्यवस्था और प्रसाशनिक संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करेगा ।
22. ठेकेदार/ संस्था द्वारा लगाये गये चालक/ श्रमिक को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के खिलाफ कर्मचारी नियुक्त सम्बन्ध एवं स्थायी रोजगार के लिए दावा करने का हक नहीं होगा । ठेकेदार इस विषय में हमारे यहां नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से वचनबद्ध प्राप्त कर ले ।

23. चालक/ मानवशक्ति प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालको के पास सम्बंधित मशीनरी चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस का होना अतिआवश्यक है | चालक के ड्राइविंग लाईसेंस के नवीकरण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं चालक/ ठेकेदार की होगी | यदि चालक की लापरवाही से कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की होगी |
24. चालक/ मानवशक्ति प्रदाता संस्था का दिया गया कार्य आदेश संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था को हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए |
25. संस्था/ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालको/ मानवशक्ति को निगम की और से भोजन, आवागमन संसाधन, चिकित्सा आदि उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा | इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित चालक/ मानवशक्ति प्रदाता संस्था की होगी |
26. ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ श्रमिकों का भुगतान अनिवार्यरूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा अर्थात् किसी भी प्रकार का नगद भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा | सम्बंधित ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ श्रमिकों के खाते में जमा करवाई गयी राशि का विवरण राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ को आगामी माह के बिलों के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा | चालको/ श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करवाई गयी राशि के विवरण बाबत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ की संतुष्टि होने पर ही ठेकेदार/ संस्था को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जायेगा | बिलों का भुगतान 30 दिनों के भीतर (अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़ कर) मासिक आधार पर आवश्यक टैक्स काटकर किया जायेगा |
27. ठेकेदार/ संस्था को राज्य/ केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों अनुसार अपने समस्त चालको/ श्रमिकों का नियमानुसार ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. अंशदान जमा करवाना होगा जिसमें नियोजित चालको/ श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती व ठेकेदार/ संस्था का अंशदान शामिल होगा | ठेकेदार/ संस्था द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे चालको/ श्रमिकों के ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाए जाने पर ही ठेकेदार/ संस्था को आगामी बिल/ बिलों का भुगतान किया जायेगा | जिसके लिए ठेकेदार/ संस्था प्रत्येक माह की ECR रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा |
28. सभी प्रकार के कर जमा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की ही होगी | ठेकेदार/ संस्था द्वारा गत माह में जमा करवाए गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिलों के साथ अनिवार्य रूप से जमा करवानी होगी | वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा करवाने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आगामी माह के बिलों में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा | उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों का निर्वहन का उत्तरदायित्व ठेकेदार/ संस्था का ही होगा |
29. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974, अनुबंधित श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम, 1923, और समय-समय पर लागू कानूनों नियमों और विनियमों के प्रावधान के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ चालक/ श्रमिक प्रदान करने वाली संस्था/ ठेकेदार का होगा | किसी भी नियमों, उपनियमों, अधिनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/ दायित्वों के लिए ठेकेदार/ संस्था स्वयं पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा |

30. यदि ठेकेदार/ संस्था व लगाये गये चालक/ श्रमिकों के बिच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी ठेकेदार/ संस्था की होगी ।
31. किसी भी स्थिति में, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ ठेकेदार / एजेंसी द्वारा लगाये गये श्रमिकों/ चालकों को बकाया भुगतान या देय किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और इसकी गैर-अनुपालना करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करते हुए ठेकेदार/ संस्था को काली सूचि में डाल दिया जायेगा । यदि ठेकेदार/ संस्था उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गये चालकों/ श्रमिकों को उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ अनुबंधित चालकों/ श्रमिकों को मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत भुगतान करेगा तथा अनुबंधित चालक/ मजदूर को किये गये भुगतान की राशि की कटौती ठेकेदार/ संस्था के मासिक बिलों से की जाएगी । इस स्थिति में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार/ संस्था की प्रतिभूति राशि/ EMD जब्त कर अनुबंध निरस्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा (NSC shall not be liable for any payment due or payable to the workers engaged by the contractor/ Agency. And any non compliance of its responsibility will result in termination of this contract and debar/ blacklisting of the contractor/ Agency without any prior notice. If the contractor fails to pay minimum wages notified by appropriate Government NSC will take action for payment of wages to the contract labour as per Payment of Wages Act 1936 and the amount paid to contract labour will be deducted from the monthly bill of the contractor. Further action will also be taken against the contractor for non payment of notified minimum wages including debarment and black listing of the contractor and agency.)
32. ठेकेदार/ संस्था को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक चालको/ श्रमिकों का भुगतान करना होगा । यदि निर्धारित समय के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ द्वारा ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा ।
33. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व कार्य करने में असक्षम व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा ।
34. ठेकेदार/ संस्था द्वारा चालको/ मानवशक्ति राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ की आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर उपलब्ध करवाए जायेंगे । जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/ बढ़ाई जा सकती है । यदि ठेकेदार/ संस्था द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों हेतु चालक/ श्रमिक उपलब्ध नहीं कराए तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार/ संस्था की दरों से अधिक दर पर चालक/ श्रमिक लगाकर पूर्ण कर सकेंगे जिसका भुगतान ठेकेदार/ संस्था की अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ उसकी अमानत राशि में से पेनल्टी के तौर पर काट लेगा । समय पर कार्य संपादन न करवाने व चालक/ श्रमिक उपलब्ध न करवाने व निविदा की शर्तों को न मानने पर ठेकेदार/ संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा और भविष्य में निविदा में भाग लेने से वांछित किया जायेगा । तथा धरोहर राशी को जब्त कर लिया जायेगा ।
35. ठेकेदार/ संस्था को यथासंभव पूर्व में ही फार्म की मशीनरी से करवाए जाने वाले कृषि कार्य (कार्य का प्रकार व क्षेत्र) के बारे में अवगत करवा दिया जायेगा, फिर भी दिन, समय, कार्य का प्रकार,

क्षेत्र का नाप जितने में कार्य करवाना है सभी प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए ठेकेदार/ संस्था को तुरन्त चालको/ श्रमिकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

36. ठेकेदार/ संस्था द्वारा कार्य के लिए लगाये जाने वाले चालको/ श्रमिकों की सूची नाम मय पिता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, उम्र, पहचान पत्र की प्रति व उपस्थिति इत्यादि के लिए रजिस्टर संधारित करना होगा । जिसकी सूची आवश्यकता पड़ने पर फार्म को भी उपलब्ध करवायी जाएगी ।
37. In case any dispute arises between NSC and the other party due to any terms or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and decision. In case dispute even after discussion, then it shall be binding up on parties to resolve issue under the provision of Arbitration and Conciliation Act, 1966 as amended from time to time. Under this provision the Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Ltd., with concurrence of both the parties shall appoint sole arbitration to resolve the issue and both the parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to Court of Law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English Language. The Court of Delhi shall have the jurisdiction.

(यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे यदि चर्चा के बाद कोई विवाद बना रहता है तो यह समय समय पर संशोधित किये गये माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगी इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों की सहमती से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष सह प्रबन्धक निदेशक मुद्दे को हल करने के लिए एक मात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे । और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । पार्टियां कानून के न्यायालय में जाने से पहले वे मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार नई दिल्ली की अदालत होगी) ।

38. मानवशक्ति प्रदाता संस्था द्वारा प्रदत्त चालको/ कामगारों को नियमित रूप से भुगतान करेंगे तथा उसकी मासिक रिपोर्ट (श्रमिकों चालको को किये गये भुगतान की प्रमाणित रशीद अथवा बैंक खाते का विवरण बिल के साथ) नियमित रूप से फार्म को देना होगा ।
39. मानवशक्ति प्रदाता ठेकेदार/ संस्था द्वारा लगाये गये श्रमिकों/ चालको के साथ फार्म में कार्य करने के दौरान यदि कोई हादसा/ दुर्घटना होती है तो उसके लिए मानवशक्ति प्रदाता ठेकेदार/ संस्था व चालको/ श्रमिक स्वयं पूर्ण रूपेण जेम्मेदार होंगे ।
40. ठेकेदार/ संस्था द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों के लिए लगाये गये चालको को किये जाने वाले कृषि कार्यों को उचित मानको के अनुरूप करना होगा । यदि कृषि कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उस कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

उपरोक्त नियम व शर्तों (क्र. सं. 1 से क्र. सं. 40 तक) को मेने अच्छे से पढ़ समझ लिया है व मुझे पूर्णतया स्वीकार है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

Technical bid

Required documents-

Sr.No.	PARTICULARS	Yes/No
1.	Registration Number of Firm/Party	
2.	PAN card	
3.	Firm registered in Labour department	
4.	GST registration	
5.	EPF/ESI registration	
6.	Adhar Card of party proprietor	
7.	Experience certificate of 03 year for providing of manpower work (similar work)	
8.	Annual turnover of Rs.50 lakh for the year 2021-22,2022-23 & 2023-24 (Last three years)	
9.	Income tax return 2021-22,2022-23 &2023-24 (Last three years)	
10.	Bank Account details	
11.	Affidavit for not being in black list.	
12.	Demand draft/RTGS/UPI of E.M.D Rs.1,20,000.00 deposit slip/transaction ID	

Signature with date

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म,सूरतगढ़

TENDER FORM FOR PAYMENT TO OPERATORS (Financial Bid)

S.no	Mechanical operation	(A) Rate/wages per acre/Hrs/day/trip/butt deposited in operators/helpers bank account (In Rs.)	(B) EPF, ESI, Service charge and other taxes include (In Rs.)	(C=A+B) Rate per acre. hrs./day/trip/butt claimed from NSC (In Rs.)
1.	Offset harrow	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
2.	Cultivator	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
3.	Suhaga	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
4.	Seed drill	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
5.	Rotvator	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
6.	Border harrow per butt 250 mtr.	Rs.....Per butt 250 mtr.		Rs.....Per butt 250 mtr.
7.	Disk/MB Plough	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
8.	Genrator operator	Rs.....Per hrs.		Rs.....Per hrs
9.	Tota plough	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
1.	Combine harvester	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
11.	Jeep operator	Rs.....Per day		Rs.....Per day
12.	Truck Operator	Rs.....Per day		Rs.....Per day
13.	High capacity sprayer	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
14.	Tractor mounted sprayer	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
15.	Tractor PTO operated thresher	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
16.	Tractor mounted loader	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
17.	JCB operator	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
18.	Screw pump operator	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
19.	Puddling	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
20.	Tractor mounted grass cutter	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
21.	Tractor mounted karaha	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
22.	Spike tooth harrow	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
23.	Interculture cultivator	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
24.	Tractor trolly transport 12 km farm area	Rs.....per trip		Rs.....Per trip
25.	Laser leveller	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
26.	Fertilizer spreader	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
27.	Long base leveller	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
28.	Tube wells	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
29.	Ridgers	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre
30.	Pivot irrigation system operator	Rs..... Per hrs.		Rs.....Per hrs.
31.	High clearance boom sprayer	Rs.....Per acre		Rs.....Per acre

“अ”

यह करार आज दिनांक..... को निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ (जिसको आगे प्रथम पक्षकार समझा जायेगा) व मैसर्स..... (जिसको आगे द्वितीय पक्षकार/ ठेकेदार कहा गया है) के मध्य सम्पन्न किया गया है।

1. यह अनुबन्ध दिनांक.....से एक वर्ष तक मान्य होगा। संतोषपूर्ण सेवाओं के आधार उक्त अनुबन्ध की समीक्षा उपरांत अगले एक वर्ष के लिए 6-6 महीनों के अन्तराल तक दोनों पक्षों की सहमती पर बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ बाध्य नहीं होगा।
2. द्वितीय पक्षकार निविदा की सभी शर्तों का पालन करते हुए प्रथम पक्षकार की स्वीकृत दरों (जो उन्होंने अपने पत्र क्रमांक..... दिनांकमें भरी है) जी0एस0टी0 अन्य सभी कर सहित, दरों पर चालक/ श्रमिक उपलब्ध कराने को सहमत होगा।
3. द्वितीय पक्षकार ने.....रुपये प्रतिभूति राशि/अमानत राशि(वापसी योग्य,अनुबन्ध समाप्ति के एक माह पश्चात् बिना किसी ब्याज के)रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी/नेट बैंकिंग संख्या.....दिनांक.....द्वारा जमा करवा दी है।
4. इस करार के सम्बन्ध में होने वाले समस्त विवाद इस करार के निर्वाचन सम्बन्धित सभी प्रश्न निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के निदेशक का विनिष्पन्न अंतिम होगा।
5. यदि द्वितीय पक्षकार अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी तरीके से अनुबंध की किसी भी शर्त को भंग करता है चालक/श्रमिक उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहता है तो द्वितीय पक्षकार की प्रतिभूति राशि/अमानत राशि को पूर्णतः जब्त कर लिया जायेगा।
6. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार (द्वितीय पक्षकार) को 15 दिनों का अग्रिम नोटिस (बिना किसी कारण स्पष्ट किये हुए) देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. निविदा प्रपत्र. मे वर्णित सभी नियम व शर्तें (1 से लेकर 40 तक) इस अनुबंध का हिस्सा होगी व द्वितीय पक्षकार को मान्य होगी। जो कि इस अनुबंध के साथ भाग ब मे वर्णित है।

इसके साक्ष्य में इसके दोनों पक्षों ने दिनांक.....को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

द्वितीय पक्षकार के
हस्ताक्षर मय सील

निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,सूरतगढ़

साक्षी 1.....

साक्षी 2.

साक्षी 3.....

साक्षी 3.....

(On letterhead of contractor with seal and signature)

(only for those who has deposited EMD/ Tender Fee through RTGS/NEFT/Net Banking)

सेवा में,

निदेशक,

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

विषय : जमा करवाई गयी EMD/ निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण ।

महोदय,

हमने/ मैंने निविदा में भाग लेने के लिए EMD राशि व निविदा प्रपत्र शुल्क राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के खाते में जमा करवा दिया है जिसका विवरण निम्नवत है ।

Sr.No.	Particular	Amount in Rs.	RTGS/NEFT UTR No./Date	A/C no. Name and branch of the bank
1	EMD and Tender Fee			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय सील

**FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON COMPANY LETTER
HEAD WITH REGARD TO BLACKLISTING/ NON- DEBARMENT, BY
ORGANISATION**

UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON – DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,

The Director

NSC, CSF SURATGARH

We hereby confirm and declare that we, M/s -----, is not blacklisted/ De-registered/ debarred by any Government department/ Public Sector Undertaking/ Private Sector/ or any other agency for which we have Executed/ Undertaken the works/ Services during the last 5 years.

For -----

Authorised Signatory

Date:

DECLARATION

**FOR NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR WORKING IN
DEPARTMENT OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.**

(To be given on Company Letter Head)

I.....s/o..... r/o..... hereby certify that none of my relative(s) as defined in the tender document no: dated: is/are employed in Department of National Seeds Corporation Ltd., as per details given in tender document. In case at any stage, it is found that the information given by me is false/incorrect, National Seeds Corporation Ltd., Central State Farm, Suratgarh shall have the absolute right to take any action as deemed fit/without any prior intimation to me.

Signed _____

Name (in Block Letters) _____

Position _____

Date _____

Seal of the bidder

The near relatives for this purpose are defined as:

- a) Members of a Hindu undivided family.
- b) They are husband and wife.
- c) The one is related to the other in the manner as father, mother, son(s) and Son's wife (daughter in law), Daughter(s) and daughter's husband (son in law), brother(s) and brother's wife, sister(s) and sister's husband (brother-in-law).

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc. as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secretcy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com